RA
3/4/25

सेवा में,

कार्यालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो० राजगढ़

रोहित सिंह बनाम धन्नालाल वगैरह

दावा हटाई निषेधाज्ञा

मु०नं० – 205/24

महोदय,

वादी निम्न निवेदन करता है:-

1. यह कि उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.06.2025 को नियत है।
2. यह कि उक्त प्रकरण को वादी लोक अदालत की भावना से withdraw करना चाहता है एवं प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त अनुसार वाद पत्र व प्रार्थना पत्र को तलब फरमाकर withdraw वाद पत्र व प्रार्थना पत्र के आधार पर Not Press में वाद पत्र व प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

दि. 3.04.2025

वादी

रोहित सिंह नरूका पुत्र श्री

R/o ग्राम

माचाड़ी तह० ~~रैणी~~ ~~जिला~~ अलवर

Rohit Singh Naruka

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
8/11/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 10/12/24 को पेश हो। रीडर	
10/12/24 ..... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 24/01/25 को पेश हो S.D.O.	
24/01/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। कब्जे तक की रिपोर्ट लिए 27/3/25 को पेश हो। SDO	
03/04/25 पत्रावली दि. 27/3/2025 से इकजाई पेशी से होकर दि. 23/06/25 नियत कि गई थी। प्रार्थना पत्र प्रार्थी व वकील प्रार्थी ने एक प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया की वो प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रकरण दावा वादी विड्रो करना चाहते है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दावा वादी विड्रो किया जाकर दावा वादी खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा लेख अगार हो। SDO	Rohit [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रोहित सिंह बनाम धन्ना लाल

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/219/2024

25.09.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल खाता संख्या 122 हाल आराजी खसरा संख्या 31/0.04, 32/0.20, 33/0.05, 35/0.19, कुल किता 04 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर व खाता संख 83 हाल आराजी खसरा सख्या 34/0.23 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीनगर बादेन तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी को अप्रार्थीगण रहन बया द्वारा खुर्द बुर्द नही करे और न ही कोई मुंतकिली का दस्तावेज तहरीर कर पंजीबद्ध करावे। अर्थात मौके व रिकॉर्ड की स्थित यथावत बनाये रखें। अप्रार्थी सख्या 3 को भी पाबंद फरमाया जावे कि वह कोई भी रहन बय आदि का दस्तावेज का पंजीयन न करे । तथा प्रार्थी को आराजीयात पर आने जाने व कृषि कार्य में किसी भी प्रकार से रूकावट व मजाहमत पैदा न करे व झगडा फिसाद न करे। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त वर्णित विवादित आराजी में से खाता संख्या 122 का जमाबंदी सम्वत 2071–75 के अनुसार प्रतिवादी सख्या 1 का हिस्सा 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में हकत्याग से प्राप्त 1/4 हिस्सा कुल 1/2 हिससे का खातेदार काश्तकार है। खाता सख्या 83 में प्रतिवादी सख्या 01 729/1150 हिस्से का खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार खाता सख्या 122 व 83 में 1/6 हिस्से की प्रतिवादी संख्या 02 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त विवादित आराजी यात को अपनी घरेलू आवष्यकता की पूर्ति हेतु रूप्यों की आवश्यकता होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी से बातचीत की तथा विवादित आराजीयात के खरीद का सौदा तय कर लिया। एवं बीस लाख रूप्यें साईपेटे के प्राप्त भी कर लिए। परंतु अब वादी व तरतीबी बकाया राशि अदा करने को तैयार होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 च 2 जानबूझकर राशि प्राप्त नही कर रहे है। एवं बयनामा पंजीबद्व कराने नही आ रहे है। एवं अब उक्त विवादित आराजीयात को दीगर शख्सों को मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्व कराने की फिराक में है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को बिवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि हाल खाता संख्या 122 हाल आराजी खसरा संख्या 31/0.04, 32/0.20, 33/0.05, 35/0.19, कुल किता 04 कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर व खाता संख 83 हाल आराजी खसरा सख्या 34/0.23 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीनगर बादेन तहसील राजगढ जिला अलवर में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेष करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 08.11.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	08/11/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 10/12/24 (10/12/24) को पेश हो। रीडर
	10/12/24 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 24.01.25 को पेश हो S.D.O.
	24/01/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० । वास्ते पेश होने नक्शा रिपोर्ट दिनांक 27/03/25 को पेश हो SDO
A Rohit Singh Warder	03/04/25 पत्रावली मुलवाद के साथ दि. 27/3/25 से इन्तजार 23/06/25 नियत की गई। पत्रावली प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। मुलवाद विड्रो के साथ-साथ धा.पत्र 212 भी विड्रो किया जाता है। साथ ही हाजा न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 25/09/2024 को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर सकम होकर बाद पूर्ति जमा लेख मुलवाद के भण्डार हो। SDO